न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

अपील कमांक –दो/2016

कालीचरण अहिरवार पटवारी

तहसील पलेरा

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश

----अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा
कलेक्टर जिला टीकमगढ़

---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा 44 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 – आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 198/बी–121/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी 2016 के विरूद्ध)

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

कलीचरण अहिरवार पटवारी तहसील पलेरा विरूद्व म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 610–दो/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
2.3.2016	आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 198 बी–121/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2016 के विरूद्व यह अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अपीलांट म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ की तहसील शाखा पलेरा का अध्यक्ष है,जिसकी सूचना म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ भोपाल व्दारा जर्य पत्र कमांक 1965 दिनांक 31–3–2015 से कलेक्टर टीकमगढ़ को दी गई है। कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश कमांक 892/18/भू अभि./स्था/2015 दिनांक 30–5–15 जारी करके अपीलांट का स्थानान्तर तहसील पलेरा से तहसील खरगापुर में कर दिया। 3/ अपीलांट ने स्थानांतर निरस्त कराने के उद्वेश्य से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 8828/2015 दायर की , जो आदेश दिनांक 1–7–15 से निराकृत हुई एंव निर्णीत किया गया कि अपीलांट आदेश की शर्टिफाईड कापी प्राप्त कर एक सप्ताह में कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करे एंव कलेक्टर टीकमगढ़ चार सप्ताह में बोलता हुआ आदेश पारित करें । जब तक के लिये कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दि. 30–5–15 पर स्थगन दिया गया। 4/ अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ व्दारा पत्र दिनांक 29–6–15 से कलेक्टर टीकमगढ़ को अवगत कराया कि	

अपीलांट स्थानान्तर आदेश दिनांक 30-5-15 के क्रम में भारमुक्त करने के वाद तहसील खरगापुर में उपस्थित नहीं हुआ है फलतः कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपीलांट को स्थानान्तर आदेश का पालन न करने का दोषी ठहराते हुये आदेश कमांक 1107/18/ भू-अभि/स्था/2015 दिनांक 30-6-2015 से तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया।

5/ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अपीलांट ने म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ की तहसील शाखा का अध्यक्ष होना के आधार पर अभ्यावेदन दिनांक 4-7-15 प्रस्तुत किया, जिस पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 119 बी-121/2014-15 में आदेश दिनांक 3-8-15 पारित कर निर्णय दिया कि सॅघ व्दारा नियत समयावधि में उन्हें सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्रामवासियों की गंभीर शिकायतें एंव जांच में प्रथम दृष्टया सिद्व पाये जाने एंव एक ही स्थान पर 13 वर्ष से अधिक पदस्थ रहने से अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

6/ कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 30-6-2015 के विरूद्व अपीलांट ने आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 198 बी-121/2014-15 प्रस्तुत की। आयुक्त, सागर संभाग व्दारा आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2016 से अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह अपील है।

7/ अपील मेमो में दर्शाए गए आधारों पर अपीलांट के अभिभाषक जी0पी0नायक एंव शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8/ म0प्र0शासन के पैनल लायर ने तर्को बताया कि पटवारी के विरूद्व चलने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के विरूद्व राजस्व मण्डल में अपील ग्राह्य योग्य नहीं है इसलिये अपील निरस्त की जाय। अपीलांट के अभिभाषक ने बताया कि

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

कालीचरण अहिरवार पटवारी तहसील पलेरा विरूद्व म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 610–दो/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	पटवारी म0प्र0भू रा0संहिता 1959 की धारा 104 के अधीन नियुक्त होता है इसलिये अपील भी संहिता के अधीन चलेगी। उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 104 का अवलोकन किया गया। इस धारा की उपधारा 2 इस प्रकार है :– '' कलेक्टर, भू अभिलेख रखने तथा उनके शुद्वीकरण के लिये और अन्य कर्तव्यों के लिये, जैसे कि राज्य सरकार विहित करे. प्रत्येक पटवारी हलके मे एक या अधिक पटवारियों की नियुक्ति करेगा। '' तदुपरांत संहिता की धारा 104(2) के अंतर्गत पटवारी की नियुक्ति किये जाने का अधिकार जिलाधीश को दिया गया, इसके पश्चात् राज्य सरकार ने म0प्र0राजपत्र दिनांक 7 अक्टूवर 1959में अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूवर 1959 प्रकाशित कर समस्त उपखंड अधिकारियों को पटवारी नियुक्त करने की शक्ति प्रदान कर दी। स्पष्ट है कि पटवारी की नियुक्ति के प्रावधान म0प्र0भू राजस्व संहिता की धारा 104 के नियमों के अंतर्गत होने से एंव संहिता में धारा 104 वर्तमान तक प्रभावी रहने से पटवारी के विरूद्व की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाहियों के विरूद्व अपील भी संहिता के अधीन प्रचलन योग्य है। (चन्द्रमणि प्रसाद वि. म0प्र0राज्य 1994 रा.नि.217 (HC)=1994 MPLJ 254) से अनुसरित. 9/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब	

कलेक्टर व्दारा जारी अपीलांट के स्थानान्तर आदेश दिनांक 30-5-15 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दिनांक 17-6-15 को दायर हो चुकी थी एंव अपीलांट म0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ की तहसील शाखा पलेरा का अध्यक्ष है,जिसकी सूचना कलेक्टर टीकमगढ़ को म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ भोपाल व्दारा जर्य पत्र कमांक 1965 दिनांक 31-3-2015 से दी गई है, तब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा तक न रूकते हुये ऐसी कौनसी विशेष परिस्थितियॉ बनीं कि कलेक्टर टीकमगढ़ को आदेश दिनांक 30-6-15 से अपीलांट को निलम्बित करना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 8828/2015 में पारित आदेश दिनांक 1-7-15 से कलेक्टर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एंव अभ्यावेदन के निराकरण तक कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 30-5-15 पर स्थगन दिया गया है जो अपीलांट के अभ्यावेदन के निराकरण तक प्रभावी होते हुये भी स्थानान्तरित स्थल पर उपस्थित न होने के आधार पर कलेक्टर व्दारा अपीलांट को आदेश दिनांक 30.6.15 से निलम्बित करना उचित नहीं माना जा सकता।

10/ कलेक्टर टीकमगढ़ ने अपीलांट के अभ्यावेदन पर आदेश दिनांक दिनांक 3-8-15 पारित किया तथा आदेश में अंकित किया कि सॅघ व्दारा नियत समयावधि में उन्हें सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। ग्रामवासियों की गंभीर शिकायतें एंव जांच में प्रथम दृष्टया सिद्व पाये जाने एंव एक ही स्थान पर 13 वर्ष से अधिक पदस्थ रहने से अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है। यदि सॅघ ने स्थानांतरण के पूर्व सूचना नहीं भी दी है तब भी पटवारी ने अभ्यावेदन के संलग्न कलेक्टर को तदाशय की सूचना दी है जिस पर शासन की स्थानान्तर नीति अनुसार विचार करना अनिवार्य है। जहॉ तक अपीलांट का 16 वर्ष से

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

कालीचरण अहिरवार पटवारी तहसील पलेरा विरूद्व म0प्र0शासन

प्रकरण कमांक 610–दो/2016 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभि.के हस्ता
	एक ही तहसील में पदस्थ रहने का प्रश्न है ? सोलह वर्ष तक प्रशासकीय अधिकारियों व्दारा उसकी पदस्थापना एक ही तहसील में रखना यही प्रमाणित करता है कि पटवारी के पदीय कार्यो से सभी राजस्व अधिकारी एंव क्षेत्रीय नागरिक सन्तुष्ट हैं। विचार योग्य यह भी है कि शासन की स्थानान्तर नीति अनुसार मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को Two Turms दो पदावधि अर्थात दो– दो वर्ष (4 वर्ष) तक स्थानांतर से छूट प्राप्त है और यह छूट उस दिन से प्राप्त होगी जिस दिनांक को वह म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ की तहसील शाखा पलेरा का अध्यक्ष नियुक्त हुआ है जिसके कारण कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा आदेश कमांक 892/18/भू अभि/स्था/2015 दिनांक 30–5–15 से अपीलांट का पलेरा से खरगापुर किया गया स्थानान्तर आदेश (केवल अपीलांट के स्थानान्तरण का भाग) निरस्त किये जाने योग्य है और जब अपीलांट का स्थानान्तर निरस्त है तब स्थानान्तरित स्थल पर उपस्थित न होने के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा जारी निलम्बन आदेश कमांक 1107/18/भू–अभि/स्था/2015 दिनांक 30–6–2015 भी निरस्त किये जाने योग्य है परन्तु इन तथ्यों पर विचार न करते हुये आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील कमांक 198 बी–121/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2016 भी त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।	

11/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा जारी आदेश कमांक 892/18/भू अभि/स्था/2015 दिनांक 30-5-15(केवल अपीलांट के स्थानान्तरण का भाग) एंव निलम्बन आदेश कमांक 1107/18/भू-अभि/स्था/2015 दिनांक 30-6-2015 तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा अपील कमांक 198 बी-121/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 27 जनवरी, 2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा अपीलांट की नियुक्ति म0प्र0तृतीय वर्ग कर्मचारी सॅघ की तहसील शाखा पलेरा के अध्यक्ष पद पर होने के दिनांक से आगामी दो पदावधि पूर्ण होने तक तहसील पलेरा में पदस्थापना यथावत् रखी जाती है। साथ ही निलम्बन काल को सेवाकाल मानते हुये समस्त प्रकार के वेतन एंव भत्ते दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

सदस्य